

बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक-प्र0-33/11KV लाईन जीर्णोद्धार-28/2017
सेवा में,

/पटना, दिनांक-

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार, वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषय: नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिये 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 215.00 करोड़ (दो सौ पंद्रह करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।

आदेश-स्वीकृत।

विभागीय राज्यादेश संख्या-3491 दिनांक-20.11.2017 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिये 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रुपये की स्वीकृति एवं इसके कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2017-18 में 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु विभागीय राज्यादेश संख्या-3491 दिनांक-20.11.2017 द्वारा 100.00 करोड़ (एक सौ करोड़) रुपये एवं विभागीय राज्यादेश संख्या-884 दिनांक-19.03.2018 के द्वारा 60.00 करोड़ (साठ सौ करोड़) रुपये अर्थात् कुल 160.00 करोड़ (एक सौ साठ करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराया गया है। इस योजना के त्वरित गति से किये जा रहे कार्यान्वयन को ध्यान में रखते हुये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये कुल राशि 160.00 करोड़ रुपये के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2018-19 में 215.00 करोड़ (दो सौ पंद्रह करोड़) रुपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के क्षेत्राधीन पूर्व से स्थापित वितरण प्रणाली के अतर्गत 33 के0 भी0, 11 के0 भी0, निम्न विभव लाईन के जीर्णोद्धार एवं नवीकरण करने हेतु नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के लिये 1652.14 करोड़ (एक हजार छः सौ बावन करोड़ चौदह लाख) रुपये की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2018-19 में 215.00 करोड़ (दो सौ पंद्रह करोड़) रुपये नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि बजट मुख्य शीर्ष 4801-बिजली परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय, उप मुख्य शीर्ष-05 संचरण तथा वितरण, लघुशीर्ष-190-सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष-0107 नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 की परियोजना, मांग सं0-10, विपत्र कोड-10-4801051900107, विषय शीर्ष- 5401-निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2018-19 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448- स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष-00, लघु शीर्ष-120-अन्य निधियाँ, उपशीर्ष-0048- नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि0, व्यय शीर्ष-L8448001200048 एवं प्राप्तियाँ-K-8448001200048 में जमा की जाएगी।

5

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लि० द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले ए पी० एल० खाता संख्या PLA276 से की जाएगी।
6. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।
7. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु मंत्रिपरिषद् का अनुमोदन संचिका संख्या-प्र०-33/11 KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 के पृष्ठ संख्या-11/टि० पर दिनांक-07.11.2017 को प्राप्त है।
8. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या-प्र०-33/11 KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 पृष्ठ संख्या-30/टि० पर दिनांक-17.05.2018 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह०/-

(प्रत्यय अमृत)

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017

/पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि:-महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना/कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह०/-

सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक-प्र०-33/11KV लाईन जीर्णोधार-28/2017 1376

/पटना, दिनांक- 18/05/2018

प्रतिलिपि:-वित्त विभाग, बजट शाखा/प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना/बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना/उप सचिव-सह-निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना/लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना/आईटी० मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना/अध्यक्ष-सह-प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (होलिडिंग) कम्पनी लि०/प्रबंध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड/उप महाप्रबंधक(वित्त एवं लेखा), नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कम्पनी लिमिटेड को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।